

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या - 15/ख0-15-01/17/स्वा0, पटना, दिनांक -

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 45 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में खाद्य नमूनों के जाँच/विश्लेषण के उद्देश्य से श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना - 7 को अपने ही वेतनमान में संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक के पद पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 46 के अंतर्गत अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/ख0-15-01/17/स्वा0, पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना - 7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/ख0-15-01/17/स्वा0, पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार /राज्य औषधि नियंत्रक बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना - 7/सभी खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, बिहार/सभी अभिहीत पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/ख0-15-01/17/स्वा0, पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना - 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/ख0-15-01/17 382115/स्वा0, पटना, दिनांक - 24/4/17

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना!

7/16